

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/साप्र/सी/5522/सामा.प्रति./2019/80

दिनांक:- 16/06/21

--: परिपत्र :-


राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर के पत्रांक - एफ-2/संस्था-1/रारापामं/2020/20652 दिनांक :09/03/21 एवं इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक क्रमशः : शिविरा-माध्य/साप्र/सी/5522/सामा.प्रति./2019/77 दिनांक : 24.03.2021, 78 दिनांक : 06.04.2021 एवं 79 दिनांक 10.06.2021 के द्वारा राजस्थान पाठ्यपुस्तक मण्डल के प्रत्येक जिला पाठ्यपुस्तक वितरण केन्द्रों पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु पुस्तकों के संग्रहण-वितरण संबंधी विविध आवश्यक प्रकृति के कार्यों को समयबद्ध व सुचारु रूप से संपादित किये जाने के लिये जिलेवार वितरण केन्द्रों पर कनिष्ठ सहायकों के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति की जानी प्रस्तावित थी।

इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक शिक्षा को जिलेवार उनके अधीन कार्यरत एक कनिष्ठ सहायक के नामों के प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, कतिपय जिलों द्वारा पात्रता संबंधी शर्तों की बाध्यता के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक तक प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किये गये, इससे प्रतिनियुक्ति आदेश समय पर जारी न हो पाने से अतिमहत्वपूर्ण प्रकृति के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, अतः पूर्व में जारी सभी पत्रों को अधिकमित कर इस परिपत्र के माध्यम से संबंधित समस्त के लिये निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं -

1. पाठ्यपुस्तक मण्डल के जिला वितरण केन्द्र पर कार्य करने के इच्छुक ऐसे सभी कनिष्ठ सहायकों के लिये पूर्व निर्धारित पात्रता में शिथिलता प्रदान करते हुए अपने पद पर कार्य करने के अनुभव की न्यूनतम अवधि पांच वर्ष के स्थान "दो वर्ष का सेवा अनुभव" संशोधित किया जाता है।
2. सभी इच्छुक कनिष्ठ सहायक अपने प्रार्थना पत्र मय सेवा अनुभव प्रमाण पत्र (जो कि न्यूनतम दो वर्षों की सेवा का हो एवं नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाया गया हो) इस कार्यालय को दो दिवस के भीतर आवश्यक रूप से "sogad2019@gmail.com" पर ईमेल के माध्यम से भिजवावें। सभी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अपने अधीन सभी कार्यरत सभी कनिष्ठ सहायकों तक सूचना आवश्यक रूप से प्रसारित करावें एवं परिपत्र जारी होने की तिथि से दो दिवस के भीतर ही प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को ईमेल करवाने हेतु निर्देशित करें, अवधि बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

3. पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जिन कार्मिकों के नाम इस कार्यालय को प्रस्तावित किये जा चुके हैं ऐसे कार्मिकों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
4. पूर्व में जिला बीकानेर, जोधपुर व जयपुर के कनिष्ठ सहायकों के प्रस्ताव नहीं लिये गये थे, अतः उक्त जिलों में कार्यरत इच्छुक कनिष्ठ सहायक भी अपने आवेदन पत्र मय सेवा अनुभव प्रमाण पत्र सहित के माध्यम से दो दिवस के भीतर इस कार्यालय को "sogad2019@gmail.com" पर ईमेल के माध्यम से भिजवावें।

सभी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक शिक्षा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह परिपत्र अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी पात्र कार्मिक तक त्वरित गति से प्रसारित कर दिया जावे ताकि कोई भी इच्छुक और पात्र कनिष्ठ सहायक आवेदन करने से वंचित न रहे एवं समयवाधि का विशेष ध्यान रखा जावे।



(पितराम सिंह काला)

उपनिदेशक (प्रशासन)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/साप्र/सी/5522/सामा.प्रति./2019/80-8)
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक:- 16/06/21

1. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) मा.शि. समस्त को अधीनस्थ कार्मिकों को निर्देशित करने हेतु।
3. कनिष्ठ सहायक समस्त माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान को सूचनार्थ।
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।



उपनिदेशक (प्रशासन)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर